अनुकूलन किया गया

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2002—कार्तिक 4, शक 1924

वन एवं संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-27/व.सं./2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
   2. यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश", जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र व अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनु. क्र. (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश निखात निधि नियम, 1964.
2.	भू-निहित निधि पुस्तक परिपत्र-भाग 4 क्रमांक 9, सन् 1964.
3.	पुस्तक परिपत्र भाग चार कमांक 9 भू-निहित निधि (संशोधन) 1977.
4.	मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तशा अवशेष अधिनियम, 1964.
5.	मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन) अधिनियम, 1970.
6.	मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1975.
7.	जिला पुरातत्वीय समिति के निर्माण एवं कार्य विधि संबंधी नियम, 1974.
8.	धरोहर के लिए उद्योग अतीत का संरक्षण भविष्य के लिए निधि नियम, 1994.
9.	मध्यप्रदेश पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1998.
10.	मध्यप्रदेश पुरातत्व अभिलेखाकार एवं संग्रहालय, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवा भरती नियम, 1998.
11.	मध्यप्रदेश पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय (अराजपत्रित अलिपिकीय) तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम, 1999.
12.	मध्यप्रदेश पुरातत्व अभिलेखाकार एवं संग्रहालय चतुर्थ श्रेणी भरती नियम, 1998.
13.	मध्यप्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1957 (क्र. 5 सन् 1958)
14.	मध्यप्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1972 (क्र. 26 सन् 1972)
15.	चलचित्र अधिनियम, 1952.
16.	मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1952.
17.	मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) नियम, 1968
18.	मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) नियम, 1972
19.	मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) नियम, 1972 (संशोधन).
20.	मध्यप्रदेश सिनेमा रेग्यूलेशन (एडव्हरटाइजिंग बेन) नियम, 1960.
21.	मध्यप्रदेश सिनेमा (विडीयो कैसेट रिकार्डर द्वारा फिल्म प्रदर्शन) अनुज्ञापन नियम, 1983.

(1)	(2)
22.	मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम, 1982.
23.	मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम, 1982 (संशोधन).
24.	अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता नियम, 1982.
25.	अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता नियम, 1986 (संशोधन).
26.	अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों लेखकों और कलाकारों को तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता नियम, 1994 (संशोधन).
27.	संशोधन अशासकीय संस्थाओं (सांस्कृतिक) को सहायता अनुदान नियम, (राजपत्र रिमार्क जारी दिनांक 20-3-87).
28.	मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग (राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 1998.
29.	मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग अधीनस्थ (राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय) तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिकवर्गीय) सेवा भरती नियम, 1999.
30.	मध्यप्रदेश राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1997.
31.	मध्यप्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्र. 1 सन् 1973).
32.	मध्यप्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1987 (क्र. 16 सन् 1987).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 7-27/व.सं./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-27/व. सं./02 दिनांक 22-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd October 2002

NOTIFICATION

No. F 7-27/F.C./02.—In exercise of the powers conferred by Section 79, of the Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the adaptation order 2002.
   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November 2000.

2. The Law as amended from time to time. Specified in the Schedule to this order which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Treasure Trove Rules, 1964.
2.	The treasure Trove-book circular Part IV No. 9, 1964.
3.	Books circular Part IV No. 9 Treasure Trove (Amendment) 1977.
4.	Madhya Pradesh Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1964.
5.	The Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains (Amendment) Act, 1970.
6.	The Madhya Pradesh Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Rules, 1975.
7.	The Formation of District Archaeological Societies and Procedural Rules, 1974.
8.	The Conservation of the Industrial Past to Deposits Treasure Trove to the Future, Rules, 1994.
9.	The Madhya Pradesh Archaeology Archives and Museums (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1998.
10.	The Madhya Pradesh Archaeology Archives and Museums Class III (Non-Gazetted) Ministerial Services Recruitment Rules, 1998.
11.	The Madhya Pradesh Archaeology Archives and Museums Directorate Class III (Non-Gazetted) (Non-Minister) Services Recruitment Rules, 1999.
12.	The Madhya Pradesh Archaeology Archives and Museums Class IV Recruitment Rules, 1998.

(1)	(2)
13.	The Madhya Pradesh Official Language Act, 1957 (No. 5 of 1958).
14.	The Madhya Pradesh Raj Bhasha (Anupurak Upbandh) Adhiniyam, 1972 (No. 26 of 1972).
15.	The Cinematograph Act, 1952.
16.	The Madhya Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1952.
17.	The Madhya Pradesh Cinema (Regulation) Rules. 1968.
18.	The Madhya Pradesh Cinema Rules, 1972.
19.	The Madhya Pradesh Cinema Rules, 1972 (Amendment).
20.	The Madhya Pradesh Cinema Regulation (Advertising Ban) Rules, 1960.
21.	The Madhya Pradesh Cinema (Film show by video cassetes Recorder) Licencing Rules, 1983.
22.	The Madhya Pradesh Artists Welfare Fund Rules, 1982.
23.	The Madhya Pradesh Artists Welfare Fund Rules, 1982. (Amendment)
24.	The Financial Aid to Destitute litterateurs, Artists and their Dependents Rules, 1982.
25.	The Financial Aid to Destitute litterateurs, Artists and their Dependents Rules, 1986. (Amendment).
26.	The Financial Aid to Destitute litterateurs, Artists and their Dependents Rules, 1994. (Amendment).
27.	Amendment Grant in Aid to non Govt. institutes (Cultural) Rules, (Gazette Remark issued on 20-3-87).
28.	Madhya Pradesh Culture Department (Directorate of Raj bhasha evam Sanskriti) Gazetted Service Recuritment Rules, 1998.
29.	The Madhya Pradesh Culuture Department Subordinate (Directorate of Raj bhasha evam Sanskriti) Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 1999.
30.	The Madhya Pradesh Raj bhasha evam Sanskriti Directorate Class IV Service Recruitment Rules, 1997.
31.	The Madhya Pradesh Official Language (Amendment) Act, 1972 (No. 1 of 1973).
32.	The Madhya Pradesh Official Language (Amendment) Act, 1987 (No. 1 of 1987).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
JAI SINGH MHASKEY, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002